हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

सप्तम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 58

शनिवार, 21 दिसम्बर, 2024/30 मार्गशीर्ष, 1946 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1687, 1765 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मुख्य मंत्री/मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।
माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

Ruling by the Speaker

"This protest is uncalled for without any reason. That will not come on record reason

being I have given more than 50 minutes for this one question."

माननीय शिक्षा मंत्री ने विपक्ष के रवैये की निंदा करते हुए प्रश्न के संबंध में अतिरिक्त जानकारी सदन में दी।

Ruling by the Speaker

"We agree that the concerns which have been raised by most of the Hon'ble Members are the genuine concerns, but we have to come to a conclusion that is in the interest of Himachal Pradesh. We have to rationalize ourselves but not politically."

तारांकित प्रश्नः 2039, 2098 व 2323 से 2343 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 891, 892, 926, 927, 957, 958, 965, 1044 से 1054 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

शून्य काल

माननीय अध्यक्ष ने शून्य काल के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि- "मैंने जो बुलेटिन जारी किया है उसके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह किया गया था कि सत्र प्रारम्भ होने से डेढ़ घण्टा पहले जो भी विषय प्रायोरिटी पर आएंगे, उनको हम लिस्ट करेंगे। उसके तहत आज मेरे पास 20 विषय आए हैं लेकिन अभी मैं 10 विषयों के लिए ही अनुमति दे रहा हूं। यदि आधे घण्टे में ये 10 विषय समाप्त हो जाएंगे तो अगले विषयों को भी टेकअप किया जाएगा और अगले सत्र से 10 विषयों को बैलेट के माध्यम से निकाला जाएगा। अब जिन-जिन माननीय सदस्यों ने ये विषय

दिए हैं, मैं बारी-बारी उनके नाम लूंगा। यदि वे सदन में होंगे तो ठीक है अन्यथा विषय ड्रॉप हो जाएगा।"

1. **श्री संजय रत्न, सदस्य** ने पिछले साल विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत डंगा, ब्रेस्टवॉल और नाले की चैनलाइजेशन करने के लिए अलाउ करने बारे विषय उठाते हुए इसमें आ रही कुछ कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

   माननीय अध्यक्ष ने कहा कि- I think the Planning Department will take care of all these issues what have been raised here. They will inform the Hon'ble House and as well as you.

2. **श्री त्रिलोक जम्वाल, सदस्य ने** माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार की हिमाचल भवन, नई दिल्ली में रूम की बुकिंग हो जाने के उपरान्त उसको कैंसल कर दिए जाने बारे सदन का ध्यान आकर्षित किया।

   इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ।

3. **श्री राकेश जम्वाल, सदस्य** ने विषय उठाया कि सभी सम्माननीय विधायकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र फ्लैग जारी किए जाएं।

   इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि नियमों के अवलोकनोपरान्त आने वाले विधान सभा सत्र में इस पर विचार करके निर्णय लेंगे।

4. **श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य** ने उनके विधान सभा चुनाव क्षेत्र के मोइन, लूरी, छोंटी व गोंथना गांव में पिछले 6 महीनों से लगातार हो रहे अवैध खनन बारे विषय उठाया।

   माननीय अध्यक्ष ने कहा कि -Your concern will be taken care of by the Ministry and the respective departments and they will inform you accordingly.They will reply to this Secretariat also.

5. **श्री सुदर्शन सिंह बबलू, सदस्य** ने उनके विधान सभा चुनाव क्षेत्र की कटोहड़ खुर्द कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुई अनियमितताओं बारे विषय उठाया।

इस पर **माननीय उप-मुख्य मंत्री** ने कहा कि अब सभी सोसाइटियां कम्प्यूट्रीकृत हो रही हैं इसलिए यह समस्या भविष्य में नहीं आएगी। माननीय सदस्य ने जो मामला ध्यान में लाया है उसमें कमेटी की फॉरमेशन की गई है, उनकी रिकमेंडेशन्ज के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

6. **श्री सुरेन्द्र शौरी, सदस्य ने** उनके विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर एन.एच. 305 जो औट से ले करके निहरी तक है, में औट से बंजार तक के क्षेत्र की दयनीय हालत बारे ध्यान आकर्षित किया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि - your concerns will be executed through the Vidhan Sabha to the State National Highway Wing of HPPWD as well to the NHAI.

7. **डॉ0 जनक राज, सदस्य ने** करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने के संबंध में विषय उठाया जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई है जिसमें इस हेतु जो कमेटी गठित की गई है उसके सदस्य भी होंगे और शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे।

8. **श्री इन्द्र सिंह, सदस्य** ने अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान नेकचौक के लिए चुनी गई जगह के त्रासदी में बह जाने के कारण उक्त संस्थान के लिए स्थान को बदलने बारे विषय उठाया। जिस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आपके कन्सर्न को विधान सभा ने भी नोट कर लिया है और संबंधित विभाग भी इसका संज्ञान लेगा।

9. **श्री विनोद सुल्तानपुरी, सदस्य** ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के परवाणु में जल आपूर्ति सिस्टम तथा Cantonment Board of Kasauli के बारे में विषय उठाया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि - I think the Officials must have taken care of this issue. This pertains to all the Cantonment Boards that what is the latest position of the State Government vis-a-vis the Government of India in regard to the Cantonment Boards. They must inform the Vidhan Sabha also in this issue.

10. **श्री भवानी सिंह पठानिया, सदस्य** ने शाह नहर के रख-रखाव तथा फतेहपुर से बदले गए ई.एन.सी. प्रोजैक्ट के ऑफिस बारे विषय उठाया जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा।

व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर ने विषय उठाया कि धर्मपुर क्षेत्र में जंगलों का कटान इस स्तर पर हुआ है कि बालन के नाम पर लगभग 1500 ट्रक, जिसमें प्रतिबन्धित वृक्षों का भी कटान हुआ है, को वहां पर एक स्थान पर इकट्ठा किया गया है जिसकी अखबारों में भी ख़बर लगी है। अतः इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिए जाएं और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह गंभीर विषय है। जिन वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध लगा हुआ है यदि वे वृक्ष काटे होंगे तो यह जांच का विषय बनता है। इसके अलावा फ्यूल वुड के नाम से जो लकड़ी पंजाब और दूसरे क्षेत्रों में जा रही है, इस विषय पर भी वे अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि उसको कैसे रैगुलेट किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि रोड वाइडनिंग के समय ज्वालामुखी के ईर्द-गिर्द आम, जामुन तथा अर्जुन इत्यादि के बहुत सारे पेड़ कटे हैं जोकि एन0एच0ए0आई0 और एन0एच0 ने काटे हैं। They were the protected species और ये प्रोटैक्टिव स्पीशिज वर्ष 2003-04 में नोटिफाई हुई थी। This is the right decision given by the Hon'ble Chief Minister. But in any case somebody in private land wants to fell trees then he is at liberty; unless it is not the protected species.

माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि शून्य काल की शुरुआत करना ऐतिहासिक फैसला है और जीरो आवर के अन्तर्गत आज बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बहुत से महत्वपूर्ण विषय रखे हैं और उनके कुछेक विषय रह भी गए हैं परन्तु उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष को नियमों से हटकर बोलने हेतु समय दिया जा रहा है जबकि इनको भी नियमों के अंदर ही बोलने का मौका मिलना चाहिए।

(राजस्व मंत्री जी की टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के कुछेक सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि "I have permitted and allowed him और माननीय राजस्व मंत्री जी के कंसर्न को नोट कर लिया गया है। आज सत्र का अंतिम दिन है और मैंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए परमिशन दी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष का भी इश्यू आ गया है and I want to terminate the Business in the lighter mode. इसलिए सभी को बोलने का मौका दिया गया। राजस्व मंत्री जी का कंसर्न ठीक है लेकिन मैंने सोचा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष शायद किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं इसलिए मैंने इन्हें बोलने की अनुमति दी है।"

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1) (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5।

(2) **डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का

प्रतिवेदन संख्या 2) हिमाचल प्रदेश सरकार, की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी-

(i) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 04.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.05.2017 को प्रकाशित;

(ii) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 24.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.04.2018 को प्रकाशित;

(iii) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) तृतीय संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी0(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 05.03.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2022 को प्रकाशित;

(iv) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) चतुर्थ (चौथा) संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 10.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2022 को प्रकाशित;

(v) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) पांचवां संशोधन नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी0-एफ(6)-14/2014-भाग-III, दिनांक 26.09.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.10.2024 को प्रकाशित;

(vi) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), और धारा 15(क) और धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास (संशोधन) नियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी0(एफ)6-31/2016-II, दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.12.2021 को प्रकाशित;

(vii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि से निकाले गए या वहन किए गए या निकलवाए गए या वहन करवाए गए किसी खनिज को तथा इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी औजार, उपकरण,यान या किसी अन्य वस्तु को, अभिगृहित करने के लिए अधिकारियों को सशक्त/प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 01.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2021 को प्रकाशित;

(viii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 22 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित में परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 01.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2021 को प्रकाशित; और

(ix) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 22 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित में परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 18.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.12.2021 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का 94वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(2) समिति का 95वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 162वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;

(3) समिति का 96वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 165वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;

(4) समिति का 194वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बने 230वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर

आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है; और

(5) समिति का 50वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बने 279वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री रणधीर शर्मा, सदस्य** ने "**श्री नैना देवी जी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल/सिंचाई सुविधा में हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति**" की ओर उप-मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

02.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक श्री कुलदीप सिंह पठानिया , माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

नियम-62 के अन्तर्गत विषय जारी-

माननीय उप-मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रणधीर शर्मा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उप-मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

माननीय मुख्य मंत्री ने पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बार-बार अखबारों के माध्यम से टिप्पणी करने पर कि कांग्रेस की रैली में 25 करोड़ रुपये के लगभग राशि खर्च की गई, पर स्पष्टीकरण दिया।

उप-मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर सरकारी खर्चे पर कार्यक्रम करने की रिवायत किसी ने शुरू की है तो वह माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने की है।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रियास्वरूप कहा कि जब पूर्व कांग्रेस सरकार का अंतिम साल था तो चुनाव की नोटिफिकेश होने के 5 दिन पहले राहुल गांधी जी का कार्यक्रम मण्डी के पड्डुल मैदान में किया गया जिसमें 75 लाख रुपये की ट्रांसपोर्ट का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी के साथ श्री राहुल गांधी जी का कंपेरिजन करना सही नहीं है।

(2) **सुश्री अनुराधा राणा, सदस्या** ने "**राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोसर में घटी आगजनी की घटना से उत्पन्न स्थिति**" की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय शिक्षा मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(3) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक** ने "**प्रदेश में होटलों व भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान तथा इनके नियमितीकरण करने हेतु One Time Relaxation प्रदान कर उससे सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व**" की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सदन का समय बचाने के लिए श्री सुरेन्द्र शौरी, श्री बिक्रम सिंह, श्री विपिन सिंह परमार, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल तथा श्री डी0 एस0 ठाकुर, सदस्यों की ओर से नियम-324 के अंतर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए तथा सदस्यों को उत्तर की प्रति आज ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री चंद्र शेखर, सदस्य ने** प्रस्तुत प्रस्ताव **"प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने** " पर यह सदन विचार करे।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने नियम-130 के तहत माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की भाषा पर ऑब्जैक्शन करते हुए इसकी भाषा में सुधार करने का विषय उठाया।

इस पर **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि भविष्य में विधान सभा सचिवालय नेता प्रतिपक्ष के सुझाव का ध्यान रखेगी।

संसदीय कार्य मंत्री(उद्योग मंत्री) ने कहा कि नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर ने दिया है यह केवल चर्चा के लिए है और यह रेजोल्यूशन नहीं है। इस पर कोई वोटिंग नहीं होगी यानी यह रेजोल्यूशन सदन से पास होकर केन्द्र को नहीं जाएगा। लेकिन यदि विपक्ष फिर भी चाहता है तो प्रस्ताव की भाषा को मॉडिफाई कर दिया जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इसकी भाषा को मॉडिफाई कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि इसकी भाषा को इस तरह से अमेंड कर दिया जाएगा कि-"प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मद्दों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण करने की मांग पर यह सदन विचार करे।"

उन्होंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि यदि दोनों पक्ष से नियम-130 के प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा हो तो दोनों प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है। जिस पर सदन ने सहमति व्यक्त की।

माननीय मुख्य मंत्री ने सत्तापक्ष की ओर से बोलने वाले वक्ताओं को विपक्ष द्वारा बार-बार इंटरवीन करने बारे आपत्ति व्यक्त की।

श्री चंद्र शेखर एवं श्री विपिन सिंह परमार ने प्रस्ताव पर चर्चा की।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय राजस्व मंत्री ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से भारत के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष का यह कहना कि हम केंद्र सरकार की निंदा नहीं कर सकते इसलिए इस प्रस्ताव की भाषा को बदलना पड़ेगा, बारे आपत्ति व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि त्रासदी के समय केन्द्र द्वारा हिमाचल के साथ भेदभाव किया गया था।

(माननीय राजस्व मंत्री जी की टिप्पणी पर विपक्ष के सदस्यगणों ने विरोध व्यक्त किया।)

Ruling by the Speaker

"Nothing is going on record except the statement of Hon'ble Chief Minister. I have already said that the protest is not going on the record. There was no cause for any protest."

माननीय मुख्य मंत्री ने नियम-130 के अन्तर्गत विषय पर चर्चा का उत्तर दिया।

उप-मुख्य मंत्री ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा की उच्च परम्पराओं का निर्वहन नहीं कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसकी भर्त्सना की।

निंदा प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में विपक्ष द्वारा किए गए व्यवहार को दुखद बताते हुए खेद व्यक्त किया तथा कहा कि आज सत्र का आखिरी दिन है और इस अवसर पर सभी सदस्यगण एक-दूसरे से सौहार्द माहौल में विदाई लेते हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा सदन में लाए गए दिशाहीन मुद्दों पर भी खेद व्यक्त किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तथा भाजपा विधायक दल का जो आचरण सदन में रहा उसकी भर्त्सना करते हुए निंदा प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, सदस्य** द्वारा **"पौधारोपण/वृक्षों के कटान नीति"** पर यह सदन विचार करे, प्रस्ताव पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चर्चा नहीं हुई।

7. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

श्री सुख राम चौधरी तथा **श्री डी0एस0 ठाकुर, सदस्यों** के विषय उनकी सदन में अनुपस्थिति के कारण नहीं उठाए गए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि -

"शून्यकाल के दौरान जिन 3-4 माननीय सदस्यों के इशूज समय के अभाव के कारण नहीं उठाए गए थे, उनको पढ़ा हुआ समझा जाए तथा माननीय सदस्यों को विषयों पर सूचना दे दी जाएगी तथा उन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।"

8. नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री हर्षवर्धन चौहान, संसदीय कार्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि-

"यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2024 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकों में से 8 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार।

सत्र का समापन

सत्र के समापन पर माननीय **मुख्य मंत्री** ने कहा कि शीतकालीन सत्र में 4 दिन तक बहुत विस्तृत चर्चा हुई और यह सत्र हिमाचल विधान सभा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहा है। विपक्ष द्वारा यहां पहली बार भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव को पहली बार इतिहास में सरकार द्वारा स्वीकार भी किया गया। इस सत्र में काफी संख्या में बिल भी पारित किए गए।

उन्होंने इस ऐतिहासिक सत्र में विधान सभा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा प्रदेश सचिवालय और अन्य विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहयोग हेतु धन्यवाद किया। इसके अलावा पत्रकार बंधुओं तथा पुलिस के कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय की शून्य काल की शुरुआत करने के लिए प्रशंसा करते हुए नेवा की प्रणाली से विधान सभा को जोड़ने के लिए भी का धन्यवाद किया तथा कहा कि यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और जब इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएंगे तो उसमें वर्तमान अध्यक्ष महोदय का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ प्रतीत होगा।

माननीय अध्यक्ष के उद्‌गार

सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री और **मंत्रि-परिषद** के सभी सम्माननीय सदस्यों का तथा संसदीय कार्य मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं हालांकि नेता प्रतिपक्ष इस अवसर पर सदन में मौजूद नहीं हैं। इस सत्र के दौरान सदन की कुल 4 बैठकें दिनांक 18 दिसम्बर से 21 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित हुईं। प्रथम दिन सदन में NeVA Application का शुभारम्भ माननीय मुख्य मन्त्री जी और नेता प्रतिपक्ष जी की उपस्थिति में किया गया जिसके भविष्य में दूरगामी परिणाम होंगे। अब विधायिका के सभी तरह के कार्य Online NeVA Application Software द्वारा ही किये जांएगे। मैं प्रदेश सरकार के समस्त विभागों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे ।

सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिए गये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। इस सत्र के दौरान कुल 188 तारांकित तथा 55 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

धर्मशाला विधान सभा का शीतकालीन सत्र इसके लिए भी ऐतिहासिक रहा कि विधान सभा के माननीय सदस्यों जो लम्बे समय से सदन में शून्य काल की मांग कर रहे थे, उसकी शुरुआत समय की उपलब्धता को देखते हुए की गई जिसमें माननीय सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान 17 विषयों को उठाया।

सत्र में नियम-61 के अन्तर्गत 2 विषय, नियम-62 के अन्तर्गत 3 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव भी दिये।

सत्र में दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस दिवस निर्धारित था जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा नियम 101 के अन्तर्गत 3 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए जिसमें से एक संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा वापिस लिया गया और एक संकल्प सदन में प्रस्तुत हुआ जिस पर आगामी सत्र में चर्चा की जायेगी तथा एक संकल्प पर समय के अभाव के कारण चर्चा नहीं हो सकी।

नियम-102 के अन्तर्गत 01 सरकारी संकल्प भी सदन में पारित किया गया जिसे आगामी कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

नियम-130 के अन्तर्गत 2 विषय चर्चा हेतु निर्धारित थे जिन पर माननीय सदस्यों ने सार्थक चर्चा की।

इसके अतिरिक्त 14 सरकारी विधेयकों को भी सभा में पुरःस्थापित एवं चर्चा उपरान्त पारित किया गया तथा लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 व 2020-2021 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों पर विवरण भी सदन में प्रस्तुत किये गए।

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 6 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया।

सभा की समितियों के 26 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त माननीय मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिये गए।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-1) (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2) हिमाचल प्रदेश सरकार भी सभा पटल पर रखे गये।

इस तरह से सदन की कार्यवाही लगभग 21 घण्टे 30 मिनट चली, जिसमें सत्तापक्ष 9 घण्टे 20 मिनट तथा प्रतिपक्ष ने 8 घण्टे 30 मिनट तक सार्थक चर्चा की और सदन की उत्पादकता 106 प्रतिशत रही, जोकि ऐतिहासिक है। अभी शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता 55 प्रतिशत और 40 प्रतिशत रही है।

सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से इस माननीय सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित कर पाये। मैं माननीय उप-मुख्य मन्त्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। मैं माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका के सदस्यों का जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया, का भी धन्यवाद करता हूं। मैं समस्त मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा उप मुख्य सचेतक का भी धन्यवाद करता हूँ।

मैं माननीय सदन के समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश के विषयों को सदन में उठाया।

मैं राज्य सरकार, विधान सभा, जिला प्रशासन कांगड़ा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार करता हूं जिन्होंने दिन-रात कार्य कर इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया।

मैं पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेषतया आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखी ।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पंहुचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

मेरी ओर से प्रदेशवासियों को क्रिसमस व नये वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कंरू, मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन कंरूगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(04.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)